अन्तिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2004

क्रमांक 2556 म. वि. नि. आ.– 2004–– संसद द्वारा अधिनियमित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181(जी) सहपठित धारा 32( ) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र(एस.एल.डी.सी) द्वारा शुल्क एवं प्रभार का उद्ग्रहण(लेवी) तथा संग्रहण संबंधी निम्न विनियम बनाये जाते है, अर्थात् –

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग(राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क एवं प्रभार का उद्ग्रहण एवं संग्रहण) विनियम, 2004.

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

1.1 ये विनियम ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग(राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क एवं प्रभार का उद्ग्रहण तथा संग्रहण) विनियम 2004'' कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगे।

1.3 ये विनियम मध्यप्रेदश राज्य के सेवारत राज्य भार प्रेषण केन्द्र(एस.एल.डी.सी.) एवं राज्य ग्रिड प्रणाली से जुड़ी अर्न्तराज्यीय विद्युत पारेषण एवं उत्पादक कंपनिया के अनुज्ञप्तिधारियों को लागू होगे। वाक्यॉश अर्न्तराज्यीय विद्युत प्रेषण के अर्न्तगत कार्यरत अनुज्ञप्तिधारियों से अभिप्राय पारेषण, वितरण एवं व्यापार अनुज्ञप्तिधारी से है।

1.4 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 धारा 31( ) के अनुसार राज्य भार प्रेषण केन्द्र(एस.एल.डी.सी) की स्थापना की तिथि से लागू माने जावेंगे(राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 2489/13/2004 दिनॉक 17/5/2004 द्वारा जबलपुर में राज्य भार प्रेषण केन्द्र स्थापित किया जा चुका है जो राज्य प्रेषण इकाई के अर्न्तगत कार्यरत है)

2. परिभाषाएं

2.1 ''देयक माह'' से अभिप्रेत है प्रचलित कलेण्डर माह के अन्तिम दिन तक के वाचन पर्यन्त तक

2.2 ''आयोग'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

2.3 रा.भा.प्रे.के. से अभिप्रेत है राज्य भार प्रेषण केन्द्र

2.4 संदर्भ में अन्य उद्धेश्यों का उल्लेख छोड़कर, इन अधिनियमों में प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियॉ जो यहां परिभाषित नही है वही अर्थ रखेगी जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003(क्रमांक 3 वर्ष 2003) मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000(क्रमांक 4 वर्ष 2001) एवं मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग(कार्य संचालन) विनियम, 2004 में प्रयुक्त हैं।

3. राज्य भार प्रेषण केन्द्र शुल्क तथा प्रभार का उद्ग्रहण एवं संग्रहण

3.1 मध्यप्रदेश शासन द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 31 के अर्न्तगत राज्य भार प्रेषण केन्द्र स्थापित होने की तिथि से, स्थापित केन्द्र अपना वित्तीय एवं व्यय लेखा, पृथक से संधारित करेगा। यदि राज्य प्रेषण इकाई(STU) राज्य भार प्रेषण केन्द्र(SLDC) को चला रहा हो तो राज्य प्रेषण इकाई से संबंधित लेखों का संधारण पृथक से राज्य प्रेषण इकाई द्वारा किया जावेगा।

3.2 मध्यप्रदेश राज्य की ग्रिड प्रणाली से जुड़ने वाली इच्छुक विद्युत उत्पादन कंपनियॉ एवं अनुज्ञप्तिधारी जो अर्न्तराज्यीय विद्युत पारेषण व्यवस्था के अर्न्तगत कार्यरत है, को अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर(संलग्न परिशिष्ट–1 अनुसार) राज्य भार प्रेषण केन्द्र को राज्य ग्रिड से जुड़ने की प्रस्तावित तिथि से न्यूनतम एक माह पूर्व रू. 1,00,000/–(रूपये एक लाख मात्र) के शुल्क सहित प्रस्तुत करना होगा। वर्तमान में राज्य ग्रिड प्रणाली से जुड़ी विद्युत उत्पादन कंपनियों एवं अनुज्ञप्तिधारकों को इन विनियमों के लागू होने की तिथि से एक माह की समय अवधि में उपरोक्त शुल्क जमा कर आवेदन सहित राज्य भार प्रेषण केन्दों में पंजीयन कराना होगा।

3.3 राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर एवं आवेदनों के परिपूर्ण एवं सही पाये जाने पर, रा. भा. प्र. के. में आवेदनों का पंजीयन किया जावेगा जिसकी स्वीकृति की सूचना आवेदकों को प्रेषित की जाकर सूचना आयोग के रिकार्ड हेतु भेजी जावेगी। राज्य भार प्रेषण केन्द्र राज्य ग्रिड से जुड़ी विद्युत उत्पादन कंपनिया एवं अनुज्ञप्तिधारक जो अर्न्तराज्यीय विद्युत पारेषण व्यवस्था के अर्न्तगत संचालित एवं मानिटर रत हैं, से संबंधित जानकारी प्रत्येक वर्ष की 15 नवंबर तक पंजीबद्ध करेगा।

3.4 राज्य भार प्रेषण केन्दों द्वारा अर्न्तराज्यीय विद्युत पारेषण व्यवस्था हेतु कार्यरत विद्युत उत्पादक कंपनियों एवं अनुज्ञप्तिधारकों से वसूली योग्य प्रभार निम्न व्यय मदों पर आधारित होगाः–

(ए) सेवारत व्यवस्था पर व्यय

(बी) प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

(सी) अनुरक्षण एवं रखरखाव पर होने वाला व्यय

(डी) मूल्य ह्रास/अवमूल्यन(**Depreciation**)

(ई) ब्याज एवं वित्तीय व्यय

(एफ) पूंजीगत व्यय पर ब्याज, यदि लागू हो

(जी) इक्विटी/धन नियोजन से होने वाला लाभ

(एच) राज्य भार प्रेषण केन्द्र की कार्य व्यवस्था के अर्न्तगत अन्य प्रासंगिक व्यय

4. राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रभार संग्रहण का आधार

4.1 राज्य भार प्रेषण केन्द्र, के वार्षिक भार का निर्धारण परिशिष्ट –2 में दर्शाये गये विवरण अनुसार किया जावेगा। इसे दो बराबर हिस्सों में बाटा जावेगा, यथा, प्रथम जिसकी वसूली विद्युत उत्पादन कंपनियों से किया जाना है एवं द्वितीय जिसकी वसूली अर्न्तराज्यीय विद्युत पारेषण व्यवस्था के अर्न्तगत, म.प्र. राज्य में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारकों से किया जाना है। तत्पश्चात प्रत्येक विद्युत उत्पादन कंपनी से वसूली योग्य शुल्क का निर्धारण स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता के आधार पर

किया जावेगा। म.प्र. राज्य में अर्न्तराज्यीय विद्युत पारेषण व्यवस्था के अर्न्तगत कार्यरत प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारक से वसूली योग्य शुल्क का निर्धारण पारेषण नेट वर्क से चक्रित ऊर्जा मात्रा पर आधारित होगा।

5. शुल्क एवं प्रभार निर्धारण हेतु आवेदन

5.1 राज्य भार प्रेषण केन्द्र को प्रत्येक वर्ष की दिनॉक 15 सितम्बर तक आयोग को आवेदन/याचिका प्रस्तुत करना होगा जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत प्रभार एवं शुल्कों पर आधारित संभावित राजस्वों का विवरण एवं प्रस्ताव (यदि वह चाहे) आदि संलग्न करने होगे। राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी परिशिष्ट–2 में दर्शाये गये विवरण अनुसार है जिसमें की गई अभिकल्पना एवं आयोग द्वारा जारी पूर्व में जारी निर्देशों के पालन बावत् अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दर्शाये गये हैं।

5.2 याचिका/ आवेदन मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग(कार्यसंचालन) अधिनियमो में दी गई प्रक्रिया अनुसार पूर्ण एवं सारगर्भित रूप में प्रस्तुत करना होगा।

5.3 राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा वसूली योग्य ''शुल्क एवं प्रभार'' हेतु आवेदन रू. 1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र) के आवेदन शुल्क के साथ प्रस्तुत करना होगा।

5.4 राज्य भार प्रेषण केन्द्र को आगामी वर्ष से प्रारंभ एक पॉच वर्षीय नियोजन प्रस्ताव तैयार करना चाहिए जिसमें नियोजन हेतु, स्त्रोतों की जानकारी दर्शाई गई हो। यह नियेाजन प्रस्ताव प्रति वर्ष अद्यतन रूप से आयोग को शुल्क एवं प्रभार निर्धारण हेतु, प्रस्तुत आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5.5 यदि चालू शुल्क एवं प्रभार पर आधारित संभावित राजस्व एवं आगामी वर्ष की राजस्व आवश्यकताओं में अन्तर परिलक्षित हो तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र राजस्व अन्तर को पाटने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

5.6 जानकारी ''हार्ड कापी'' में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त निर्दिष्ट इलेक्ट्रानिक प्रपत्र में आयोग की आवश्यकता एवं निर्देशानुसार भी प्रस्तुत करना होगी।

5.7 राज्य भार प्रेषण केन्द्र एक कार्यकारी समूह गठित करेगा जो आयोग को वांछित जानकारी उपलब्ध करायेगा जिसके संबंध में केन्द्र द्वारा आवश्यक विवरण आयोग को सूचित किया जावेगा।

5.8 आयोग द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर पर्याप्त जानकारी के अभाव में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त जानकारी की मॉग एवं स्पष्टीकरण चाहा जा सकता है, जिसकी जानकारी केन्द्र आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करेगा।

5.9 आयोग द्वारा केन्द्र से शुल्क आवेदन प्रस्तुति में किसी प्रकार के विलंब /शुल्क आवेदन प्रस्तुत न किया जाना /जानकारी न प्रस्तुत किये जाने की दशा में(कंण्डिका 5.1 एवं 5.5 अनुसार) , विद्युत अधिनियम, 2003 (केन्द्रीय नियम 2003 का क्रमॉक 36) के प्रावधानों के अनुसार दण्ड/जुर्माना अधिरोपित किया जा सकेगा।

6. विद्युत उत्पादन कंपनियों एवं अर्न्तराज्यीय विद्युत पारेषण व्यवस्था के अर्न्तगत कार्यरत अनुज्ञप्तिकर्ताओं हेतु जानकारी

6.1 आयोग को प्रस्तुत स्पष्टीकरण के पश्चात, राज्य भार प्रेषण केन्द्र आयोग को पूर्ण आवेदन एवं वांछित स्पष्टीकरण(यदि वे अपेक्षित हो) की प्रतियॉ अर्न्तराज्यीय विद्युत पारेषण के अर्न्तगत कार्यरत विद्युत उत्पादन कंपनियों को उपलब्ध करायेगा।

6.2 ''शुल्क एवं प्रभार'' निर्धारण हेतु आवेदन राज्य भार प्रेषण केन्द्र की वेबसाईट पर डाऊनलोड कर समस्त सांझेदारो की जानकारी हेतु योग्य प्रपत्रो में सुलभ उपलब्ध होनी चाहिये।

7. सुनवाई

7.1 आयोग विशिष्ट कारणों के अर्न्तगत राज्य भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा प्रस्तुत राजस्व गणना तथा शुल्क एवं प्रभार निर्धारण कार्यवाही करेगा एवं विद्युत उत्पादन कंपनियां राज्य के अर्न्तगत अर्न्तराज्यीय विद्युत पारेषण के अर्न्तगत कार्यरत अनुज्ञप्तिधारकों अथवा ऐसे व्यक्ति जिन्हें आयोग निर्णय लेने के परिपेक्ष्य में उचित समझे, की सुनवाई करेगा।

8. आयोग का आदेश

8.1 आयोग द्वारा प्राप्त आवेदन (जैसा कि कंण्डिका 5.1 में दर्शाया गया है) पर विद्युत उत्पादन कंपनियों तथा राज्य में अर्न्तराज्यीय विद्युत पारेषण के अर्न्तगत अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार करेगा, जिन पर आयोग :

(अ) आवेदन की स्वीकृति हेतु आदेश जारी करेगा अथवा आयोग संशोधन जारी करेगा अथवा ऐसी शर्ते का निर्धारण जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया गया हो, पारित करेगा।

(ब) आवेदन निरस्त कर सकेगा जिसके कारणों को उल्लेख आदेश में किया जावेगा, यदि आवेदन विद्युत अधिनियम 2003 (केन्द्रीय नियम 2003 का क्रमांक 36) के अर्न्तगत नियमों एवं विनियमों अथवा उस समय प्रचलित अन्य कोई विधि कानून के अनुरूप न पाया जावे। बशर्ते आवेदन निरस्त करने के पूर्व आवेदक को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिया जावेगा।

8.2 आयोग शुल्क एवं प्रभार निर्धारण विद्युत अधिनियम 2003(केन्द्रीय अधिनियम 2003 का क्रमांक 36) , म.प्र. विद्युत सुधार अधिनियम 2000 (वर्ष 2001 का क्रमांक 4) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्यसंचालन) विनियम अथवा अन्य प्रचलित नीति अथवा विनियम, जैसी परिस्थितियां हों, के अनुसार किया जावेगा।

8.3 आयोग यदि आवश्यक समझे तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र हेतु अस्थाई रूप से शुल्क एवं प्रभार निर्धारण कर सकता है।

9 आदेश की प्रयोज्यता

9.1 आयोग द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र हेतु निर्धारित शुल्क एवं प्रभार आयोग द्वारा जारी आदेश से 7 (सात) दिवस पश्चात ही प्रभावशील होगे एवं देयक तदानुसार ही जारी किये जावेगे।

9.2 आयोग द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क एवं भार आयोग द्वारा जारी आदेश में दर्शाई गई अवधि हेतु वैध/मान्य होगे।

10. आदेश का पुर्नरीक्षण/समीक्षा

10.1 शुल्क एवं प्रभार के पुनरीक्षण हेतु याचिका के रूप में प्राप्त आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ प्रस्तुत किये जावेंगे। आयोग द्वारा शुल्क एवं प्रभार के पुनरीक्षण हेतु प्राप्त याचिका निम्न शर्तो पर स्वीकार की जावेगी :

(अ) पुनरीक्षण याचिका आदेश की तिथि से 60 दिवस के अन्दर दायर की गई हो।

(ब) यह सिद्ध होना पाया जावे कि अभिलेखो की समीक्षा पश्चात प्रत्यक्ष चूक परिलक्षित हो रही है।

10.2 आयोग, स्वयं, यदि संतुष्ट है कि राज्य भार प्रेषण केन्द्र के शुल्क एवं प्रभार संबंधी जारी आदेश की समीक्षा की आवश्यकता है, ऐसी परिस्थिति में आयोग राज्य भार प्रेषण केन्द्र के शुल्क एवं प्रभार संबंधी पुनरीक्षण संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयेाग (कार्य संचालन) विनियम के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आरंभ करेगा।

11. जानकारी का उपयोग

11.1 यदि आयोग उचित समझे तो उसे अधिकार होगा कि वह राज्य भार प्रेषण केन्द्र से प्राप्त जानकारी का उपयोग करने हेतु अधिकृत होगा तथा इसका उपयोग, प्रकाशन या आयोग की वैबसाईट पर प्रदर्शित कर सकेगा तथा/अथवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को इसे अपनी वैबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु निर्देशित कर सकेगा।

12. राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों का उद्ग्रहण एवं सग्रहण

12.1 विद्युत उत्पादन कंपनिया एवं अनुज्ञप्तिधारी जो राज्य में अर्न्तराज्यीय विद्युत पारेषण प्रणाली के अर्न्तगत कार्यरत है : राज्य भार प्रेषण केन्द्र को वार्षिक शुल्क का भुगतान अग्रिम रूप से दो अर्द्धवार्षिक किस्तों में करेंगे।

12.2 यदि भुगतान निर्धारित तिथि तक नहीं किया जाता तो अवशेष राशि पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से दण्डात्मक ब्याज देय होगा।

12.3 राज्य भार प्रेषण केन्द्र से संबंधित शुल्कों के भुगतान संबंधी विलंब अथवा भुगतान न किये जाने की दशा में विवादों का निराकरण यथा संभव आपसी समझौता वार्ता के माध्यम से किया जावेगा। विवादों का निराकरण 90 दिवस में आपसी समझोता बार्तो से न होने की दशा में प्रकरण याचिका के माध्यम से आयोग के समक्ष किसी भी पक्ष द्वारा निराकरण हेतु लाया जा सकेगा। इस संबंध में आयोग द्वारा दिये गये निर्णय को दोनों पक्ष मान्य किये जाने हेतु बाध्य होगें।

13. संशोधन के अधिकार

13.1 आयोग किसी भी समय इन विनियमों के प्रावधानों में परिवर्धन, परिवर्तन, सुधार या संशोधन कर सकेगा।

14. व्यावृति

14.1 इन विनियमों में कुछ भी आयोग की अन्तर्निहित शक्तियों को ऐसे आदेश, जो न्याय हित में या आयोग की प्रक्रियाओ में दोषो को रोकने के लिये आवश्यक हो, सीमित या अन्यथा प्रभावित नही करेगा।

14.2 इन विनियमों में कुछ भी आयोग को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, लिखित कारणों सहित, यदि आयोग आवश्यक व उचित समझे ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नही रोकेगा जो विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36) की किसी भी प्रक्रिया या प्रावधान से भिन्न हो।

14.3 इन विनियमों में विशिष्ट या अर्न्तगत कुछ भी आयोग को किसी विषय या विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36) के अर्न्तगत किसी अधिकार के उपयोग से नही रोकेगा जिसके लिये कोई विनियम नहीं बनाये गये हो तथा आयोग ऐसे विषयों अधिकारों तथा कार्यो को उस प्रकार से जैसा वह उचित समझे, निवर्तित कर सकेगा।

टीप :– इस ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क एवं प्रभार का उद्ग्रहण संग्रहण) विनियम 2004'' के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा ।

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, उप सचिव